

Advocate

मुख्य याचिकावाली मध्य प्रतिनिधिमंडल जयपुर

दिनांक 17/11/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक


आन्वितिलाल vs सरकार

17/11/25

पत्रावली पेश हुई। वादी (आन्वितिलाल उर्फ) वादी द्वारा साक्ष्यवादी हेतु परपत्र सबमा दिने जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नहीं किये गये हैं, यात्र भी गलत पेशी दिनांक 10/12/24 को साक्ष्यवादी हेतु (अथवा सबमा दिने जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नहीं किये गये हैं) वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण वादी अपना वाद साबित करने में असमर्थ रहा है। वादी की साक्ष्य बंद की जाती है। वादी द्वारा उद्धृत वाद अनर्गत वादाख्यान नारकरी आन्वितिलाल 1955 की द्वारा 88, 89, 92क एवं 188 के वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने तथा साबित करने में असमर्थ रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय करे रजलाउ (मुनाफा गणना) उन्की पचा जाती है।

पत्रावली फॉरल शुभा लोक वादी

दफ्तर ही तथा नक्का से कम ले।


 17/11/25
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शाक्तिलाल पुत्र उगमचन्द्र विश्नोई उग्र वयरक निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 642/2013 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री गोपाल अजमेरा उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 17.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने तथा साबित करने में असमर्थ रहने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है।


17/1/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा